

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 30/01/2026

वादी की ओर से रमेश कुमार अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री हीरालाल विरथलिया अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को इकबाल दावा के आधार पर स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार घोषित किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 1 की कृषि भूमि का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क. वादी जगसीर सिंह :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
47 एसएसडब्ल्यू	65/329	11, 12	0.506 हैक्.
64/329		8, 11/.1265 पूर्वी, 12 ता 14	
		15/1, 15/2, 16/1/.114 उत्तरी	
		16/2/.0125, 19/.190 उत्तरी,	
		20	1.961 हैक्.
		कुल तादादी	2.467 हैक्.

ख. प्रतिवादी सं. 1 वजीर सिंह :-

चक	प.नं.	किला	तादादी
47 एसएसडब्ल्यू	63/329	14, 15/1	0.367 हैक्.
64/329		11/.1265 पश्चिमी, 16/1/.114 दक्षिणी	
		16/2/.0125, 17, 18 19/.063 दक्षिणी,	
		21 ता 24, 25/1, 25/2	2.087 हैक्.
	65/329	19, 20	0.506 हैक्.
		कुल तादादी	2.960 हैक्.

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा

सहायक कलक्टर एव

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। रहन यथावत रखा जाता है।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक ....30/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



3  
कलक्टर एवं  
(उपखण्ड अधिकारी पिलीबंगा)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पिलीबंगा